न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री योगेश डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 01/19

तारीख दायरा : 02-02-2021

उनवान

1. तैययब पुत्र अब्दुल शकूर जाति मुस्लिम।
2. असगर अली पुत्र अलादीन जाति मुस्लिम।
3. अरशद पुत्र जोरमल जाति मुस्लिम।
4. भूपसिंह यादव पुत्र रामस्वरूप यादव।
5. पवन यादव पुत्र नोबत सिंह जाति यादव निवासीयान् ग्राम अलादीन का बास ग्राम रायसीस, तहसील व जिला अलवर।

............प्रार्थीगण।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर।
2. मेहरचन्द पुत्र हसंराज जाति मेघवाल निवासी मकान नं0 2 पैट्रोल पम्प के पास, ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर।
3. मदनलाल पुत्र हसंराज जाति मेघवाल निवासी पैट्रोल पम्प के पास, ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर।

........अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी.)

न्यायालय द्वारा :-

:: निर्णय :: दिनांकः 26.7.2021

प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 535 वाके ग्राम रायसीश मे से रास्ता चाहने बाबत दावा प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रतिवादी की उक्त आराजी में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में मिन प्रार्थी/प्रतिवादी ने एक दावा वादीगण के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायालय सख्या-1 अलवर में भूपसिंह यादव व अन्य के खिलाफ दायर किया हुआ है जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। वादीगंण ने जिस रास्ते के आधार पर यह वाद दायर किया है उसमें खसरा नम्बर 686, 686/768 में रास्ते को अंकित किया गया है किन्तु वादीगण ने उपरोक्त खसरा नम्बरान् के खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया है। ख.न. 686 के खातेदार अंजू, कमल कुमार, गंगाराम व कैलाशी, तुलसीराम व अन्य है जिनको [illegible] वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। खसरा नम्बर 536 के सह खातेदारों को [illegible] का दावा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

प्रतिवादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण/अप्रार्थी द्वारा इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी का यह कथन स्वीकार नहीं है कि ख.न. 535 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा हो। वाद में वर्णित आराजी में से गांव में जाने के लिए आवागमन का एक मात्र कदीमी रास्ता अलवर भिवाड़ी मुख्य मार्ग पर तर्फ पूर्व आराजी ख.न.535 में से होकर अन्य आगे की आराजीयात में से होकर गांव में जाता है जिस पर अरसे दराज से करीब 15 फुट चौड़ी सडक जा रही है। सम्वत् 2020 के बन्दोबस्त में यह रास्ता दर्शाया हुआ है। परन्तु नवीन बन्दोबस्त स. 2051 में उक्त रास्ते को हटा दिया गया। प्रतिवादी द्वारा सिविल न्यायालय में जो वाद दायर किया गया है वह क्षेत्राधिकार से बाहर है। ख.न. 535 में से होकर गांव जाने के लिए कदीमी रास्ता चालू है। अन्य खसरा नम्बरान् के खातेदारान् मौजूदा वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है। इसलिए आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागू नहीं होते है। यह प्रार्थना पत्र प्रतिवादी/प्रार्थी की ओर से प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की नीयत से पेश किया गया है जो खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुना। प्रार्थी/प्रतिवादी के योग्य अधिवक्ता का तर्क है कि वादी ने आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। खसरा नम्बर 536 के सह खातेदार भी आवश्यक पक्षकार है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है। बल्कि वादी/अप्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 535 को विवादित बताया गया है वह प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि है। वादी का दावा नक्शा दुरूष्ती है। जबकि इनके द्वारा उद्घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया है। यदि इन्हे दुरूष्ती ही करवानी है तो रास्ते के समस्त खसरो की दुरूष्ती का दावा लाते और सभी को पक्षकार बनाते है। इनका वाद पत्र नॉन जोईन्डर आर्फ पार्टीज से ग्रसित होने के कारण खारिज किया जावे। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में 2010(1)RRT 72 Gujar singh & ors. V/s Bhag singh &ors., 2015 DNJ (SC)340 Om Aggarwal V/s Haryana Financial Corporaton & ors. के न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये गये।

वादी/अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी ख.न.535 के साबिक खसरा न. 400/311 में सम्वत् 2020 के दौरान् गैर मुमकिन रास्ता है जबकि नवीन बन्दोबस्त स.2051 के दौरान् ख.न. 535 में रास्ता दर्ज नहीं है। यह रास्ता विवादित आराजी में से होकर अन्य आराजीयात में से होकर गांव को जाने वाला कदीमी रास्ता है जिसे प्रार्थी/प्रतिवादी ने रोक दिया है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में 2009(1) DNJ(Raj.)410 Premi Devi V/s Deva Ram & ors. DNJ 2021 Page 531, DNJ 2018 Page 676 के न्यायिक विनिश्चय पेश किंये गये।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा आराजी ख.न. 535 में से रास्ते दिये जाने का अनुतोष अपने वाद पत्र में चाहा है। जबकि प्रतिवादीगण का यह प्रतिरोध है कि दुरूष्ती का दावा रास्ते [illegible] धित है तो इस प्रश्नगत खसरे के अतिरिक्त अन्य खसरे जो रास्ते से सम्बन्धित [illegible] की भी दुरुस्ती [illegible] चाहिए थी। खसरा नम्बर 536 व खसरा नम्बर 686, 686/768 के खातेदारान [illegible] पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 16:58:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

वादीगण द्वारा आराजी ख.न. 535 में रास्ते के इन्द्राज दुरूस्ती बाबत उद्घोषणा का वाद संस्थित किया गया है जिसमें खसरा नम्बर 536 एवं खसरा नम्बर 686, 686/768 का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि वादीगण ने अपने वाद पत्र के जि0 न0 03 एवं जवाब प्रार्थना पत्र के जि.न. 03 में यह कथन किया है कि खसरा न.535 जिसके साबिक ख.न.400/311 में से होकर अन्य आराजीयात के साथ-साथ ग्राम की आबादी तक यह रास्ता जाता है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार ख.न. 590 में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। नक्श ट्रैस के अनुसार ख.न.535 व 590 के मध्य अन्य काफी खसरे है। चूंकि जब वादी इस रास्ते को ग्राम का कदीमी रास्ता स्वीकार कर रहा है तो ख.न.535 के साथ खसरा नम्बर 590 के मध्य स्थित रास्ते से सम्बन्धित अन्य खसरो को भी दुरूस्ती में शामिल करना चाहिए था। केवल एक ख.न.535 का ही दावा क्यों पेश किया गया है? खसरा नम्बर 535 के आगे क्या रास्ता रिकार्ड में है, किस किस खसरे में से पूर्व में कदीमी रास्ता जाता था तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा किस किस नम्बर में से रास्ते का इन्द्राज हटाया गया है इन सभी तथ्यों को वाद पत्र में उल्लेखित किया जाना चाहिए था। वादीगण ने इन तथ्यों का कोई स्पष्टीकरण वाद पत्र में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में एंव बहस के दौरान् नहीं दिया है। चूंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार आराजी ख.न. 536 आराजी ख.न.535 का एडजोईनिंग खसरा है तथा इसका साबिक खसरा नम्बर 310 है जिसमें साबिक रिकार्ड जमाबन्दी स.2020 के अनुसार .02 बिस्वा रास्ता दर्ज है।

उपरोक्त स्थिति में यही उपधारणा की जावेगी कि रास्ते के बारे में इन्द्राज दुरूस्ती के दौरान् ख.न.535 के साथ-साथ रास्ते से सम्बन्धित अन्य खसरें भी निश्चित रूप से प्रभावित होगें। इस प्रकार दुरूस्ती प्रकरण में कानूनी स्थिति के अनुसार प्रभावित खसरों के खातेदार/सह खातेदारों आवश्यक पक्षकार है। परन्तु वादीगण द्वारा ख.न.535 के अतिरिक्त अन्य किसी भी खसरा नम्बर के खातेदारान्/ सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

दोनों ही पक्षों की ओर से अपने-अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक विनिश्चय पेश किये गये है,परन्तु इन न्यायिक विनिश्चयों में वर्णित प्रकरणों के तथ्य प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न के कारण इस मामले में चस्पा नहीं होते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरान्त हम यह पाते है कि प्रश्नगत वाद पत्र नॉन जोईन्डर आफॅ पार्टीज से ग्रसित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागू होने के फलस्वरूप वादीगण का दावा खारिज किया जाता है।

26.7.2021

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

आज दिनांक 26.7.2021 को निर्णय मेरे द्वारा सुनाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:28 IST
Reason: SelfAttested

26.7.2021

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)